मालपुरा को जिला बनाने की मांग, हनुमान चालीसा की

मालपुरा (निस) मालपुरा को जिला बनाये जाने की मांग व प्रदेश की गहलोत सरकार को सदबुद्धि के लिए गुरूवार को मालपुरा में जुटे सर्व ब्राह्मण समाज के सैंकडों महिला पुरूषों ने डाक बंगले से कोर्ट परिसर तक पैदल मार्च निकाल कोर्ट परिसर में किया सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ किए।

कोर कमेटी द्वारा गैर राजनैतिक मंच से चलाये जा रहे जनआंदोलन के 18वें दिन मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के सैंकडों विप्र जनों ने डाक बंगले में बैठक कर जनआंदोलन को अपना समर्थन दिये जाने की घोषणा करते हुए हम हमारा हक मांगते नही किसी से भीख मांगते व हम सब एक है ना दूदू ना केकडी जिला हमारा मालपुरा है के नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाल कोर्ट परिसर पहुंचे। विप्रजनो ने आंशिक धरना दे हनुमान चालीसा के पाठ किये। सैंकडो विप्रजनो द्वारा एक साथ 511 हनुमान चालीसा के पाठ किये गये जिससे समुचा कोर्ट परिसर हनुमान जंयति पर बालाजी के जयकारो से गुंज उठा।

■ लोगों ने पैदल मार्च निकाल मालपुरा का जिला बनाने की मांग रखी

मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मालपुरा में सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया।

आधा घंटे बाद विप्रजनो ने अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक राकेश कुमार बैरवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ-साथ मालपुरा को जिला बनाये जाने के भौगोलिक व तथ्यात्मक 14 सुत्री की रिपोर्ट भी सौंपी। आंदोलन की मुखिया कोर कमेटी की टीम द्वारा विधानसभा क्षेत्र के एक दर्जन गांवो मे सघन जनसम्पर्क व चौपाल के जरिए मालपुरा को जिला बनाये जाने की मांग को लेकर चलाये जा रहै आंदोलन का उदेश्य बता 16 अप्रेल को मालपुरा मे आयोजित महापंचायत के महापडाव मे ज्यादा से ज्यादा संख्या मे पहुंचने का आव्हान करते हुए कहा कि लोकतंत्र मे किसी भी मांग को मनवाने व अधिकार को पाने के लिए प्रदर्शनकारियो के सिर गिने जाते है।

विधानसभा क्षेत्र की 4 लाख की आबादी द्वारा अपने अधिकारो को पाने के लिए सिर गिनाने का वक्त आ गया है। चुनावी वर्ष मे गहलोत सरकार द्वारा जिलो के रूप मे अपने चहेतो को रेवडियां बांटी गई है। जिसमे मालपुरा ही नही सुजानगढ, सांभर, फुलेरा, किशनगढ जैसे कई बडी विधानसभा व मुख्यालय गहलोत सरकार की अनदेखी का शिकार हुए है। गहलोत सरकार ने जिलों की रेवडियां बांट विधानसभा क्षेत्र मे वापसी का सपना देखा लेकिन उनका यह दांव जनआंदोलन मे बदल गया है।

जगह-जगह लगे भंडारे

खैरथल। हनुमान जन्मोत्सव पर शहर भर में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया जबकि मंदिरों में भक्तों की श्रद्धा उमड़ी।

पहाडी वाले हनुमान मंदिर पर भक्त पवन इसरानी के प्रायोजन में शुद्ध घी से बने खाद्य पदार्थों का भंडारा आयोजित किया गया। यहां देर शाम तक भी भक्तों की आस्था उमड़ी। क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया भी पार्षदों व कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी की आराधना के बाद प्रसादी ग्रहण की। रेलवे स्टेशन स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बडी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया।मंदिर के महंत वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव केक काटकर छप्पन भोग का प्रसाद वितरण किया गया।

'अलवर को नहीं बनने दिया जाएगा ठगों का अड्डा'

अलवर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) सचिन मित्तल दो दिन अलवर में रुके। यहां एसपी ऑफिस, थानों का निरीक्षण किया। इसके बाद गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता की। जिसमें एडीजी ने माना कि अलवर-भरतपुर में सबसे अधिक अपराध है।

अपराध में भी साइबर क्राइम सबसे अधिक है। इतना भी साफ किया कि मेवात क्षेत्र में पहले जो टटलूबाज थे वे साइबर क्राइम को जान गए। अब साइबर ठगी करते हैं। तभी तो अलवर जिले की पुलिस ने हाल में 18 हजार संदिग्ध सिम नंबर ब्लॉक कराए। वहीं भरतपुर में पिछले साल 58 हजार सिम नंबर ब्लॉक कराए थे। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों के आसपास छोटे-छोटे गांवों में आउटसोर्स के जरिए एटीएम तक खुल गए है। लेकिन अब अलवर जिले को ठगों का अडडा नहीं बनने दिया जायेगा।

सुन्दरकाण्ड के हुए पाठ

चाकसू (निस) चैत्र शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार को चाकसू क्षेत्र के सभी देवालयों पर भक्तों की सवेरे से ही भीड रही। हनुमान मंदिरों पर सुन्दरकाण्ड एवं हनुमान चालीसा के पाठ आस्था के केंद्र बिंदु रहे। सभी मंदिरों पर वीर बजरंगबली के गुणगान हुए , अंजनी सुत का दुग्धाभिषेक और पंचामृत अभिषेक कर सिंदूर का चोला धारण करवाया गया। मनमोहक पौषाक धारण करवाई कर फूलो से भव्य श्रृंगार किया गया। सभी देवालयों पर आकर्षक विद्युत रोशनी की गई। दिन भर पंचायत समिति कार्यालय के पास बडे बालाजी, नीलकंठ बालाजी महाराज, खॉल के बालाजी, चेत्या बालाजी सहित सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का आना-जाना बना रहा, दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, खैरथल (अलवर)

क्रमांक: 67-69 प्रारूप - 10 दिनांक 05.04.2023

{नियम 6 (7) देखिए)}

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

लोक सूचना

श्री भागुमल भूरानी पुत्र श्री मोहन लाल भूरानी निवासी 56, वार्ड नम्बर 29 कुंज विहार कॉलोनी, नवदीप अस्पताल के पास, कृष्णा टाकीज रोड, कोटपूतली, तहसील कोटपूतली जयपुर, श्री धर्मदास पुत्र श्री ठाकुरदास निवासी वार्ड नम्बर 19 झूलेलाल मंदिर के पास आनन्द नगर कॉलोनी तहसील खैरथल, अलवर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात जिले सहित तहसील का नाम-खैरथल, ग्राम का नाम-खैरथल ग्राम खैरथल, खसरा सं.- सम्पूर्ण खसरा नं. 2474, क्षेत्र-1.0100 हैक्टर इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अनिधनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर - भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 05.04.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका खैरथल

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/146 दिनांक-6.4.23

(1) श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी निवासी गणेशपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
(2) श्री नाथूलाल शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा निवासी मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	लालसोट	खसरा नं. 2131 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं. 2157 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा	5 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा	5 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/150 दिनांक-6.4.23

(1) श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी निवासी गणेशपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
(2) श्री नाथूलाल शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा निवासी मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1	लालसोट जिला दौसा	लालसोट	खसरा नं. 2121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा	2 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा	2 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/154 दिनांक-6.4.23

(1) श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी निवासी गणेशपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
(2) श्री नाथूलाल शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा निवासी मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1	लालसोट जिला दौसा	लालसोट	खसरा नं. 2125 रकबा 3 बिस्वा खसरा नं. 2158 रकबा 4 बीघा	4 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा	4 बीघा 3 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/158 दिनांक-6.4.23

(1) श्री गणपत जौहरी, धन्ना पुत्र गंगु माली, बाबूलाल पुत्र देव्या, मोतिया पत्नी चन्दा माली, शांति देवी पत्नी देव्या माली, सीता देवी पत्नी चन्दा माली निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	श्योनन्दा	खसरा नं. 565/189 रकबा 15 बीघा	15 बीघा सम्पूर्ण
			कुल किता 1 रकबा 15 बीघा	15 बीघा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/162 दिनांक-6.4.23

(1) नाथू लाल पुत्र गेन्दी लाल मीना निवासी रूपपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
(2) रमेश चन्द मीना पुत्र मूलचन्द मीना निवासी गोल तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	थलोज	खसरा नं. 574/117 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा	2 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा	2 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/166 दिनांक-6.4.23

(1) रामजीलाल पुत्र मेवाराम बैरवा निवासी मिश्र का बाढश्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	थलोज	खसरा नं. 558/117 रकबा 18 बिस्वा	18 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 1 रकबा 18 बिस्वा	18 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/170 दिनांक-6.4.23

(1) सुरेश चन्द पुत्र घासी लाल बैरवा निवासी टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	चांदसेन	खसरा नं. 573/111 रकबा 9 बिस्वा	9 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 1 रकबा 9 बिस्वा	9 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/174 दिनांक-6.4.23

(1) गोपीराम बैरवा पुत्र मूलचन्द बैरवा निवासी थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	थलोज	खसरा नं. 575/117 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा	1 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा	1 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका लालसोट

लोक सूचना

सं. न.पा.ला./23/178 दिनांक-6.4.23

(1) छोटी देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार सैनी व गंदोडी देवी पत्नी कानाराम सैनी निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	90क हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	लालसोट जिला दौसा	लालसोट	खसरा नं. 987 रकबा 3 बिस्वा	3 बिस्वा सम्पूर्ण
			कुल किता 1, 3 बिस्वा	3 बिस्वा सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6.4.23 को जारी की गयी।
(सीमा चौधरी) प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका लालसोट

प्रमुख समाज सेवी व पूर्व जागीरदार रावल रघुवीर सिंह धुला पंचतत्व में विलीन

भांडारेज (निस)। भांडारेज निवासी पूर्व जागीरदार एवं प्रमुख समाजसेवा रावल रघुवीर सिंह धुला का पार्थिव देह गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गया।

इनके अंतिम संस्कार के दौरान भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने उन्हे नम आंखों से अंतिम विदाई दी । अंतिम संस्कार के दौरान उनके द्वारा किए समाज सेवा के कार्यों की चर्चा बनी रही। 85 वर्षीय रावल रघुवीर सिंह पूर्व रियासत के बामन गांव के बड़े ठिकाने धुला के 12 वें जागीरदार होने के साथ रियासत के प्रमुख ताजीमी में सरदार रहे थे। दिवंगत रावल रघुवीर सिंह धुला ने अपने जीवनकाल में कई निर्धन परिवारों की बालिकाओं के विवाह व अन्य प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम सहित सामाजिक कार्यों को एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए भरपूर सहयोग किया था। पूर्व जागीरदार रावल रघुवीर सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान जनसैलाब ने रावल रघुवीर अमर रहे के नारे लगाए। दिवंगत रावल रघुवीर सिंह के पिता श्री जयपुर रियासत में जागीर कमिश्नर भी रहे थे। उनकी शिक्षा अजमेर के मेव कॉलेज, अजमेर के सेंट जेवियर स्कूल और महाराजा कॉलेज जयपुर में हुई थी। समाज सरोकार के कार्यो के कारण उनकी छवि अलग थी । यही कारण रहा कि दिवंगत रावल के पार्थिव देह के अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री मुरारीलाल मीणा, सरपंच सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए।

■ भांडारेज में अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

भांडारेज निवासी पूर्व जागीरदार एवं प्रमुख समाजसेवा रावल रघुवीर सिंह धुला को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी।

कार्यालय जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ) दौसा

क्रमांक- जि.प.दौ./पंचायत/लेखा/15-31 दिनांक-06.04.2023

निविदा सूचना-3

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में विभिन्न योजनाओं एवं होने वाले प्रशिक्षणों तथा बैठकों के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कार्यालय में स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति के लिये पंजीकृत फर्मों/व्यवसायियों से स्टेशनरी सामग्री की वार्षिक दर संविदा हेतु निम्नानुसार सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	नाम आईटम	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानता राशि (लाखों में)	निविदा विक्रय करने की अवधि	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि व समय
1	स्टेशनरी आपूर्ति	4.90	0.098	6.4.23 को प्रातः 10 बजे से 12.4.23 को सायं 5 बजे तक	13.4.23 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक	13.4.23 को दोपहर 2 बजे से लगातार निविदा खोलने तक

UBN- ZDA2324GSOB00006

नियम व शर्ते-

1. स्टेशनरी आईटम हेतु निविदा फार्म कैशियर कार्यालय हाजा से निर्धारित निविदा शुल्क 500/- रूपये नकद/डी.डी. जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। अमानता राशि का डी.डी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा के नाम से देय होगा। असफल निविदादाताओं की अमानता राशि शीघ्र ही लौटा दी जावेगी।
2. निविदा फार्म आज दिनांक से प्राप्ति की निर्धारित दिनांक को सायं 5.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है।
3. डाक या कोरियर द्वारा सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्टेशनरी सामग्री में प्रति आईटम/प्रति नग के आधार पर प्रस्तुत करें।
4. किसी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
5. शेष शर्ते राजथान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार होगी एवं कार्यालय समय में देखी/पढी जा सकती है।

सांभर में भारी पुलिस जाब्ते के साथ निकली हनुमान जी की शोभायात्रा

सांभरझील। यहां सिंघानिया मोहल्ला स्थित सार्वजनिक खेड़ापति बालाजी मंदिर से भारी पुलिस जाब्ते के साथ हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा भारी पुलिस जाब्ता कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रहा। खेड़ापति बालाजी मंदिर समिति के पदाधिकारियों की ओर से तैयारियों को खास रूप प्रदान किया गया। शोभायात्रा में अनेक जीवंत झांकियों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। शोभायात्रा में प्रभु श्री राम व वीर हनुमान के जयकारे लगाते हुए बच्चों और सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखा।

50 हजार रुपए चोरी

टोंक, (नि.स.)। शहर के स्वर्ण दुर्गा मन्दिर के पास द्वारिकानगरी में चोरों की धमाचौकडी का खेल जोरों पर है, अब तक आस-पास में करीब तीन चार स्थानों पर चोरी की वारदात एक सप्ताह में हो चुकी है। चोरों का इतना हौसला बढ गया है कि अब तो चोर दिन में ही ताले तोडकर चोरी को अंजाम दे गये और गुरुवार को दिन में ही एक मकान के ताले तोड़ कर पचास हजार रुपए चोरी कर ले गए।

भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 10 से

चाकसू(निस) कस्बा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्रों की भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 10 अप्रेल से आयोजित की जाएगी प्राचार्य मानसिंह मीना ने बताया कि राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय के निर्देशानुसार कस्बे के राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 10 अप्रेल 2023 को 1 बजे से आयोजित की जाएगी। प्रथम वर्ष के भूगोल विषय के संबंधित विद्यार्थी भूगोल प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सुबह 12 बजे महाविद्यालय में उपस्थित हो, प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी अपने प्रेक्टिकल फाइल के साथ, शुल्क जमा करवाने की रसीद लेकर आए शुल्क जमा करवाने उपरान्त ही भूगोल प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा सभी छात्र-छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा प्रवेश पत्र एवं आधार कार्ड साथ लेकर आएं।

भजनों में झूमे श्रद्धालु

बोराज । श्री वीर हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान एवं गोशाला के सन्त बालव्यास महाराज के सानिध्य में कुंड सागर बालाजी मंदिर परिसर में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन का हुआ । मंदिर पुजारी प्रहलाद शर्मा ने बताया कि बालाजी महाराज का श्रंगार किया गया , रामायण पाठ व हनुमान चालीसा के पाठ किए गए एवं दोपहर बाद भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें नामी कलाकार तृप्ति लड्डा , श्याम अपूर्व ,सुनील गोयल व संजय परिहार ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी । भजनों में श्रद्धालु भावविभोर हो झूमने लगे ।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) चौमूं जयपुर

क्रमांक- 16-30 दिनांक-6.4.2023

निविदा सूचना

इस मण्डी समिति के मुख्य मण्डी प्रांगण, चौमूं में क्लिनिंग एवं सोर्टिंग मशीन (2THP) को चलाने के लिये किराये पर देने के लिये इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो से दिनांक 13.04.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक बन्द लिफाफे में निर्धारित निविदा पत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 1.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते व जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है।

DAM2324A0010

सचिव प्रशासक

Regional Office (Jaipur-North)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Opp. ROAD NO. 5, VKIA, SIKAR ROAD, JAIPUR
Phone: 0141-2850100 e-mail: rorpcb.jaipur@gmail.com
website: http://www.environment.rajasthan.gov.in

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत मै. नेशनल लाईम स्टोन कम्पनी प्रा.लि. के प्रस्तावित विस्तार M.L. No. 259/94 (R) (Old 271/81) M.L. Area-96.25ha. Block I-34.32 ha, Block II-35.93 ha & Block III-26.00 ha, Production Capacity - 66,76, 900 TPA (ROM) Mineral Limestone - 16,12,050 TPA and Mineral Masonary Stone - 37,78,325 TPA and Mineral Dulomite - 9,72,400 TPA and Mineral Marble - 3,14,125 TPA along with proposed crusher plant (3 numbers of 9000 TPD and 2 numbers of 3000 TPD) and proposed M-sand plant 3000 TPD including crushing of mineral and its further processing in mineral beneficiation plant Located Near Village-Ajitpura, Kujota and Bhainslana, Tehsil- Kotputli and Paota, District-Jaipur (Rajasthan) by M/s National Limestone Company Private Limited, Village-Ajitpura, Kujota and Bhainslana, Tehsil-Kotputli and Paota, District-Jaipur (Proposal no. 405869).
के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखत) के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।
चूंकि मण्डल को उपरोक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः समस्त संबंधित को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए लोक सुनवाई हेतु दिनांक 15 मई 2023 को प्रातः 11.00 बजे प्रोजेक्ट का प्रस्तावित स्थल जिसका Village-Ajitpura, Kujota and Bhainslana, Tehsil-Kotputli and Paota, District-Jaipur (Raj.) में उपस्थित होकर आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।
इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (उत्तर) रोड नं. 05 के सामने, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, सीकर रोड, जयपुर (ईमेल-rorpcb.jaipur@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यपालक सार) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है-
(1) जिला कलेक्टर, जयपुर (2) क्षेत्रीय कार्यालय, राजथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (उत्तर) (3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (4) पर्यावरण विभाग, राजथान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (5) जिला उद्योग केन्द्र जयपुर (6) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटपूतली, जयपुर (7) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, अरावली भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर। (8) पंचायत समिति, तहसील-कोटपूतली एवं पावटा, जिला-जयपुर। (9) नगर पालिका, कोटपूतली एवं पावटा, जयपुर। प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी पुर्वावधान/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी

(विजय शर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	10034996711 एवं 10056429349	भारत बैंकिंग ओडी सिक्योर्ड एवं ईडीजीएस डब्लू सीटीएल	1. राजकुमार एण्ड कम्पनी 2. राज कुमार लाम्बी 3. मोहनलाल	18.03.2023	62,17,608.45/-	दुकान नं. 74 का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 14.89 वर्गमीटर अर्थात 160.21 वर्गफिट, नाग तलाई, सूरजपोल अनाज मंडी के सामने, सूरजपोल गेट के बाहर, जयपुर, जयपुर नगर, चौकडी हवेली, जयपुर, राजस्थान-302003 और सीमायें है पूर्व-रोड 30 फिट चौडी, पश्चिम-वेचने वाले का मकान, प्लाट नं. 5, उत्तर-दुकान नं. 73, दक्षिण-पैसेज

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 07.04.2023
स्थान- जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है, अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्ननिर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस, कर्जदारों/सह कर्जदारों और जमानतियों को, नीचे वर्णित मांग नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान, उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर, मांग पत्र की तिथ से भुगतान/प्राप्ति तक के अतिरिक्त ब्याज तथा अन्य खर्चों सहित, करने के लिये कहा गया है।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती राशि वापस करने में विफल रहे है, कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों को तथा जनसाधारण को एतथ द्वारा सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है, के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	कर्जदारों/सहकर्जदारों एवं जमानतियों के नाम	गिरवी रखी सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस		कब्जे का प्रकार और तिथि
			दिनांक	बकाया राशि रू.	
21039607 एवं 36407190	1. महेन्द्र सिवाल 2. बाबूलाल सिवाल 3. राधा देवी	रिकायशी प्लाट (पट्टा नं. 30 का दक्षिणी भाग), क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज (167.22 वर्ग मीटर), कुल भूमि 266 वर्गगज में से, ग्राम पंचायत खोनागोरियान (घाटी-करोलान), तहसील-सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) का पूरा एवं प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-खाली भूमि, उत्तर-इसी प्लाट का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिण-खाली भूमि	02.06.2022	रूपये 27,62,980.00/-	05.04.2023 सांकेतिक कब्जा
18709467 एवं 32593098	1. दीन बन्धू मेडीकल हाल प्रो. संजय झालानी 2. संजय झालानी 3. श्री कृष्ण झालानी 4. सुनीता झालानी	प्लाट नं. ई-128, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, अम्बाबाडी, जयपुर (राजथान) का पूरा एवं प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-सरकारी रोड 40 फिट चौडी, पश्चिम-प्लाट नं. ई-149, उत्तर-प्लाट नं. ई-129, दक्षिण-प्लाट नं. ई-127	24.12.2022	रूपये 1,87,03,897.77/-	05.04.2023 सांकेतिक कब्जा

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों को विशेष रूप से तथा आम जनता को एतथद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा, लेन देन नहीं करें तथा इन सम्पत्तियों की किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के सथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तो के तहत होगा व मांग नोटिस में वर्णित राशि, मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक की अतिरिक्त ब्याज व खर्चो सहित, देय होगा।

दिनांक- 05.04.2023
स्थान- जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व नाम कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)